रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256661
CG-DL-E-27082024-256661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946
No. 658] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

फा. सं. बीओए/2-सी/2024.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग एतद्द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है; अर्थात

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में, विनियमन 9 के उप-विनियमन (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"

"(4) (क) आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा संबंधित नियामक निकाय, आयोग या आयोग के स्वायत्त बोर्डों को वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) प्रत्येक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज या संस्थान प्रशिक्षुओं (इंटर्न्स) सहित शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल कर्मचारियों और स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत 'आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम' से जुड़ा होगा और आयोग के पास केंद्रीकृत 'आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम' से प्राप्त डेटा को ऑनलाइन एक्सेस और विश्लेषण करने का अधिकार होगा।"

3. तालिका 10 में, 'कॉलेज' शीर्षक के अंतर्गत, पंक्ति संख्या 1 के कॉलम (2) में 'डिजिटल लाइब्रेरी' को 'डिजिटल लाइब्रेरी और सूचना प्रौद्योगिकी सेल' के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और कॉलम संख्या (3) में, '18 महीने' को 'डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 18 माह और सूचना प्रौद्योगिकी सेल के लिए 6 माह' के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. पृष्ठ संख्या 59, अनुसूची- III में, (पृष्ठ संख्या 60) "पंक्ति (रो) संख्या 31 में शिक्षण विभाग और उनकी इकाइयां के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, और कॉलम संख्या (3) (4) (5) (6) शीर्षक के अंतर्गत 125, 200, 275, 350 को क्रमशः 150, 250, 350, 450 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सच्चिदानंद प्रसाद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./433/2024-25]

नोट: यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) संशोधन विनियम, 2024 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

F. No. BOA/2-C/2024.—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Commission hereby makes the following regulation to amend the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Ayurveda Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations-2024, namely: -

1. Short title and Commencement. (1) These regulations may be called **the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment And Rating For Undergraduate Ayurveda Colleges and Attached Teaching Hospitals) Amendment Regulations, 2024.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Ayurveda Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024, in regulation 9, for sub-regulation (4), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

"(4) (a) Biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or the Commission or the Autonomous Boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the Commission;

(b) every Ayurveda Medical College or Institution shall connect with centralized Aadhar Enabled Biometric Attendance System for marking attendance of Teaching Staff, Non- teaching Staff, Hospital Staff. Postgraduate Students including Interns and the Commission shall be the authority to access and analyse attendance data online from centralized Aadhar Enabled Biometric Attendance System."

3. In table no. 10, under the heading 'College' in row 1., and column (2), the 'Digital Library shall be substituted as 'Digital Library and Information Technology Cell', and column (3), '18 months' shall be substituted as '18 months for Digital Library and 06 months for Information Technology Cell'.

4. In Page No.59. Schedule-III, under the heading 'Minimum Constructed area required for teaching, department and their values' in row 31 (page no. 60), and column (3) (4) (5) (6), 125, 200, 275, 350 shall be substituted as 150, 250, 350, 450 respectively.

SACHIDANAND PRASAD, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./433/2024-25]

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Amendment Regulations, 2024 the English version will be treated as the final

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA